

पत्रांक :- १३५

कार्यालय आदेश

दिनांक :- ५/८/१८

जिला स्वास्थ्य समिति, कटिहार के कार्यालय पत्रांक 1302 दिनांक 29.07.2017 के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक (BCM) के विभिन्न कोटि के ग्यारह पद पर चयन/नियोजन किया गया था। जिसमें सभी कोटि की प्रतिक्षा सची रखी गई थी। जिसके अन्तर्गत सामान्य कोटि महिला के पूर्व में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा त्याग पत्र दिया गया है। जिला पदाधिकारी महोदय के संचिका आदेश के आलोक में सामान्य कोटि महिला के प्रथम प्रतिक्षा सूची में श्रीमति कल्पना कुमारी है।

क्र.सं०	उम्मीदवार का नाम	पिता/पति नाम	पता	जाति
01	KALPANA KUMARI	Late Uma Shankar Mallik	AT - ON RANJAN VERMA MUNSI YADAV COLONY, MIRCHAIBARI OFFICER COLONY, KATIAR	UR (F)

अतः आपके चयन प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक के पद निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त (अनुबंध) किया जाता है:-
शर्त:-

- संविदा के आधार पर आपका कोई नियोजन नहीं होगा बल्कि स्वीकृति मानदेय के विरुद्ध आपको कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जाता है।
- मानदेय की राशि 12000/- (बारह हजार मात्र) रू० प्रतिमाह देय होगी।
- आपके पद के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय में याचिका दायर की जाती है, या कोई मामला लंबित है तो माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय आपको मान्य होगा। इस आशय का Indemnity Bond आपको समर्पित करना होगा।
- आपका अनुबंध योगदान की तिथि से 11 (ग्यारह) माह या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त होने तक जो भी पहले लागू होगा, अनुमान्य होगी। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर अनुबंध राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना के दिशा-निर्देश के अनुसार समाप्त किया जा सकता है।
- एक माह की नोटिस अथवा एक माह का मानदेय देकर नियमानुसार अनुबंध किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
- जॉब के क्रम में यदि कोई प्रमाण-पत्र फर्जी पाया जाता है तो सेवा समाप्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- पत्र निर्गत तिथि से 07 (सात) दिनों के अंदर सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, कटिहार के अधीन योगदान पत्र समर्पित करेंगे। निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं करने पर नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
- योगदान के समय इस आशय का Indemnity Bond समर्पित करना होगा कि आप नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।
- योगदान के समय फौजदारी मुकदमें में दण्डित नहीं होने का शपथ पत्र तथा राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का 02 फोटो देना होगा।
- योगदान के समय चयनित उम्मीदवार को जिला स्वास्थ्य समिति, कटिहार से दिये गये प्रपत्र पर एकरारनामा करना होगा।
- यदि उम्मीदवार किसी अन्य संस्थान में नियोजित है, तो उस संस्थान में दिये गये त्याग पत्र को स्वीकृत किये जाने की मूल प्रति/अभिप्रमाणित प्रमाणपत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

जिला कार्यक्रम प्रबंधक,
जिला स्वास्थ्य समिति, कटिहार।

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, कटिहार।

ज्ञापक:- १३५

कटिहार, दिनांक:- ५/०८/२०१८

प्रतिलिपि:-संबंधित उम्मीदवार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, कटिहार को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि जिला के ऑफिसियल वेबसाईट पर उक्त का प्रकाशन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:-असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-उप विकास आयुक्त, कटिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, कटिहार।